आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या–88/2022
सुरेन्द्र गिरी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
09.02.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13765/2021 में दिनांक–22.04.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के वाद संख्या–15/2018 में दिनांक–23.01.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 22.04.2022 में अंकित है कि– "The matter has been taken up for online hearing through video conference because of COVID-19 pandemic restrictions. The petitioner has statutory remedy of revision under the provisions of the Bihar Targeted Public Distribution system (control) order, 2016 against the orders of the licensing authority and the appelate authority, which are under challenge in the present writ application. In such view of the matter, this application is disposed of with a liberty to the petitioner to prefer revision petition. If such revision application is filed within six weeks from today, the court expects that the revisional authority shall dispose it of within two months."	

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपर्युक्त के आलोक मे पुनरीक्षण वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना गया।

वाद की संक्षिप्त विवरणी यह है कि श्री सुरेन्द्र गिरी, पिता–स्0–रामाश्रय गिरी, साकिन–गोछी, पंचायत–गोछी कुसहर, प्रखंड–केसरिया, जिला–पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता थें। उनकी अनुज्ञप्ति संख्या–06/2007 थी। दिनांक–23.05.2018 को समय–10:20 पूर्वाहन में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चकिया द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के जन वितरण प्रणाली दुकान की जांच की गयी। जाँच के क्रम में दुकान बंद पायी गयी तथा पुनरीक्षणकर्ता अनुपस्थित थे एवं व्यापार स्थल दो जगहों पर था। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के ज्ञापांक 1058 दिनांक 31.05.2018 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसमें निम्न अनियमितताएँ उल्लेखित की गई :–

(1) दुकान खुलने की अवधि में बिना किसी सूचना के दुकान बंद पाया गया।

(2) दिनांक–20.05.2018 को माह–मई–2018 का खाद्यान्न उठाकर उसका वितरण नहीं किया गया।

(3) उपभोक्ताओं के अनुसार नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है।

(4) उपभोक्ता को कैश–मेमो नहीं दिया जाता है।

(5) खाद्यान्न निर्धारित मात्रा से कम दिया जता है तथा राशि एक रूपये प्रति किलो अधिक लिया जाता है।

(6) दो स्थानों पर खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है।

स्पष्टीकरण का जवाब पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित किया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समर्पित जवाब से असंतुष्ट होने पर अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया ने अपने पत्रांक 117 दिनांक 21.07.2018 द्वारा उनसे साक्ष्य की मांग की। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्पुष्टि हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया द्वारा पुनः 23.08.2019 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, केसरिया से आवेदक की दुकान की जाँच कराई गई, जाँच के क्रम में सम्बद्ध 20 (बीस) उपभोक्ताओं से बयान लिया गया, जिसके द्वारा बताया गया की जन वितरण प्रणाली विक्रेता उन्हें 2–3 माह के अंतराल पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरीत करते है तथा जबरदस्ती सभी माह का वितरण कार्ड पर दर्ज कर देते है, जिसकी सम्पूष्टि हेतु निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा समर्पित राशन कार्ड

WEB COPY NOT OFFICIAL

	का अवलोकन किया गया एवं सत्य पाया गया। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश ज्ञापांक 178 दिनांक 28.08.2018 द्वारा अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के उक्त आदेश के विरूद्व पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–936/2019 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–06.10.2020 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के न्यायालय में अपील वाद संख्या–15/2018 दायर किया गया। समाहर्त्ता पूर्वी चम्पारण ने भी अपने आदेश दिनांक 23.01.2021 से जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अपील आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्व जन वितरण प्रणाली विक्रेता ने माननीय उच्च न्यायालय में CWJC NO 13765/2021 दायर किया, जिसमें दिनांक 22.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जाँच के दिन अपीलकर्ता अपने पत्नी की तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण केसरिया इलाज कराने चले गये थे, जिस कारण उनकी दुकान बंद थी। पुनरीक्षणकर्ता को क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनाया गया है। उन्होंने मई 2018 का खाद्यान्न वितरण किया था एवं उनके उपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। इनका दावा है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति नही दिया था। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने पुनरीक्षणकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार किये बगैर अपना आदेश पारित किया है तथा उसी आदेश को समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने भी सम्पुष्ट कर दिया है, जो नैसर्गिक न्याय तथा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के विरूद्व है। सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिस पदाधिकारी के द्वारा दुकान की जाँच कराई गई वो सक्षम प्राधिकार नहीं थे। अंत में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) मुजफ्फरपुर का के अनुसार जांच के क्रम में कार्य अवधि में दुकान बंद पाया जाना, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा खाद्यान्न का उठाव के बावजूद भी मई 2018 का अनाज सभी उपभोक्ताओं के बीच वितरण नही करना निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में अनाज देना एवं निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना, नियमित खाद्यान्न का वितरण नहीं करना, उपभोक्ता को कैश–मेमो नही देना तथा दो स्थानों पर बिना सूचना एवं पूर्वानुमति के भडार रखना। इसका स्पष्ट अर्थ है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 के प्रावधान एवं अनुज्ञप्ति में अंकित शर्तो का उल्लंघन किया गया हैं। इस तरह निम्न न्यायालय का आदेश पूरी तरह विधि सम्मत् है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	उभयपक्षों को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चकिया द्वारा दिनांक–23.05.2018 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जांच की गयी, जांच में पायी गयी अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया ने अपने ज्ञापांक–1058 दिनांक–31.05.2018 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से स्पष्टीकरण का मांग किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया द्वारा दिनांक–23.08.2015 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, केसरिया से उनकी दुकान की पुनः जांच कराया गया। जाँच मे फिर से अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित हुआ। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि 20 उपभोक्ताओं द्वारा ब्यान दर्ज कराया गया है कि 02–03 माह के अंतराल पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरित करते है तथा जबरदस्ती सभी माह का वितरण कार्ड पर दर्ज कर देते है। आरोप की संपुष्टि हेतु कार्ड का अवलोकन भी कराया गया। जांच प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया ने अपने ज्ञापांक–173 दिनांक–28.08.2018 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति संख्या को रद्द कर दिया गया। उनके रद्दीकरण आदेश के विरूद्व पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–936/2019 दायर किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांक–06.10.2020 के आलोक में समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के न्यायालय में अपील करने का आदेश दिया गया जिसके आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अपील वाद सं0–15/2018 दायर किया गया। समाहर्ता द्वारा दिनांक–23.01.2021 को अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश से उनके अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया एवं समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण ने सभी वैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय का अनुपालन करते हुए अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सर्वप्रथम इस वाद को स्वयं स्वीकार किया गया है कि अपने पत्नी को इलाज कराने हेतु केसरिया ले गये थे जिस कारण जाँच की तिथि को उनकी दुकान बंद थी। जो ''बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के नियम 15(i) के प्रतिकूल है। उक्त नियमावली के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि *अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।* निर्धारित अवधि में हर हाल में दुकान खुली	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	रखना है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने स्पष्टीकरण के साथ अपने पत्नी के इलाज से संबंधित चिकित्सीय पूर्जा संलग्न किया गया था, उसमें 25.05.2018 की तिथि अंकित है, जबकि दुकान की निरीक्षण की तिथि 23.05.2018 है, इससे उनका यह जवाब हास्यास्पद हो जाता है। जहाँ तक दो जगह व्यापार स्थल रखने का प्रश्न है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अभ्यावेदन या निम्न न्यायालय के अभिलेख में उनके (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) द्वारा दो जगह व्यापार स्थल रखने के संबंध में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति लिये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो ''बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016'' के नियम 17(i) का उल्लंघन है। यदि उन्हें व्यापार स्थल अलग करना ही था तो उन्हें सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अब जहां तक पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे का प्रश्न है कि जो निरीक्षी पदाधिकारी थे वे सक्षम प्राधिकार नही थे इस संबंध में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के भाग 5 नियम 31 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, इस कारण उनका यह दावा भी मान्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बरती गई अन्य अनियमितता जैसे खाद्यान्न उठाव कर वितरण नहीं करना, कैश मेमो नही दिया जाना, निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना तथा अधिक राशि लेना जैसा कृत्य ''बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016'' के नियम 14(i),(iv) के प्रतिकूल एवं **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01** में पारित न्यायादेश के उल्लंघन का हो जाता है। उपर्युक्त के आलोक में समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक–1321 दिनांक–01.07.2021 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के आदेश ज्ञापांक–173 दिनांक–28.08.2018 द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL